न्यायालय डिवीजनल कमिश्नर, जोधपुर
पीठासीन अधिकारी–कैलाश चन्द मीना, आई.ए.एस.

आर्म्स अपील संख्या 02/2021

अपीलार्थी	बनाम	प्रत्यर्थी
चिमन लाल पुत्र शंकरलाल जाति जणवा (चौधरी) निवासी फुलाबाई खेडा, पोस्ट काछोली, तहसील पिण्डवाडा, जिला सिरोही		1. राजस्थान सरकार जरिये जिला कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट सिरोही 2. जिला पुलिस अधीक्षक सिरोही

आर्म्स अपील अन्तर्गत धारा 18 आयुध अधिनियम,1959 आयुध नियम 2016, विरूद्ध आदेश जिला कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट सिरोही कमांकः प.21(1)( )न्याय/2018/3652 दिनांक 25.6.18 द्वारा प्रार्थी का नवीन शस्त्र पिस्टल–रिवोल्वर क्रय हेतु अनुज्ञापत्र का आवेदन संचित करने बाबत।

उपस्थिति–
1. श्री दीपक कोरपाल, अधिवक्ता अपीलांट की ओर से।
2. श्री नवलसिंह दहिया, राजकीय अधिवक्ता राज्य पक्ष की ओर से।

निर्णय

दिनांक 28.12.2022

1. प्रस्तुत आर्म्स अपील प्रकरण के तथ्य संक्षिप्त में इस प्रकार है कि अपीलान्ट द्वारा नवीन शस्त्र पिस्टल–रिवोल्वर क्रय करने हेतु शस्त्र अनुज्ञा पत्र जारी करने का आवेदन जिला कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट सिरोही ने अपने आदेश कमांकःप.21(1)( )न्याय/2018/3652 दिनांक 25.06.2018 के द्वारा संचित कर दिया गया। उक्त आदेश से असंतुष्ट होकर अपीलान्ट द्वारा उक्त अपील न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत की गई है।
2. अपील के साथ अपील प्रस्तुत करने में हुए विलंब को क्षमा करने हेतु अवधि गणनार्थ अधिनियम की धारा 5 के तहत प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया। जो न्यायहित में स्वीकार कर प्रकरण का गुणावगुण पर परीक्षण किया गया।
3. हमने दोनो पक्षों के अधिवक्ताओं की बहस सुनी। दौरान सुनवाई अपीलान्ट के योग्य अधिवक्ता ने मुख्य रूप से यह निवेदन किया कि अपीलार्थी ने दिनांक 18.9.17 को अप्रार्थी सं0 1 के समक्ष निर्धारित प्रपत्र में नवीन शस्त्र हैण्डगन पिस्टल–रिवोल्वर क्रय करने की अनुज्ञा प्रदान करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया। उक्त प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत शपथ पत्र में यह बयान किया कि उसके विरूद्ध भारत के किसी भी न्यायालय या

डिविजनल कमिश्नर
जोधपुर

पुलिस थाना में किसी प्रकार का कोई आपराधिक प्रकरण दर्ज अथवा विचाराधीन नही है तथा धारा 107 में कोई प्रकरण दर्ज अथवा लंबित नही है और वह किसी आपराधिक प्रकरण में सजायाप्ता नही है।

4. जिला मजिस्ट्रेट द्वारा प्रार्थी के चरित्र एवं हथियार की आवश्यकता एवं औचित्य के संबंध में पुलिस अधीक्षक सिरोही से रिपोर्ट चाही गई। पुलिस अधीक्षक द्वारा प्रेषित रिपोर्ट में यह तथ्य अंकित किया गया कि "प्रार्थी के पास शस्त्र अनुज्ञापत्र प्राप्त करने के संबंध में समुचित कारण नही होने एवं स्वयं के पिता शस्त्र धारक होने से, नवीन शस्त्र अनुज्ञापत्र जारी करने की अनुशंषा नही की जाती है।" जबकि प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र में स्वयं की आत्मरक्षा एवं खेत में जंगली जानवरों से खेती की सुरक्षा हेतु हथियार की आवश्यकता व्यक्त की गई थी।

5. जिला मजिस्ट्रेट सिरोही द्वारा प्रार्थी के आवेदन पर गौर किये बिना व उसमें उल्लेखित तथ्यों पर गुणावगुण पर विचार किए बिना जिला पुलिस अधीक्षक सिरोही द्वारा प्रेषित रिपोर्ट के आधार पर अपीलाधीन आदेश पारित कर दिया गया, जो अपास्त योग्य है। जिला मजिस्ट्रेट को आर्म्स एक्ट एवं रूल्स के अनुसार जांच रिपोर्ट में वर्णित तथ्यों के आधार पर अपने स्वयं के विवेकानुसार आवेदन में उल्लेखित तथ्यों को ध्यान में रखते हुए निर्णय पारित करना चाहिए था। जबकि उनके द्वारा स्वयं के अधिकारों का उपयोग नही कर, अन्य अथॉरिटी के निर्णय को गृहित किया गया है, जो कानूनन विधि सम्मत नही है। अपीलाधीन आदेश में प्रार्थी का आवेदन संचित करने का मात्र यह कारण कि "शस्त्र अनुज्ञापत्र प्राप्त करने के संबंध में समुचित कारण नही होना एवं स्वयं के पिता शस्त्र धारक होना" दर्शाया गया है, जो न्याय संगत एवं आर्म्स एक्ट की भावना के अनुरूप नही है। इसके अलावा अपीलाधीन आदेश पारित करने से पूर्व प्रार्थी को किसी प्रकार की सुनवाई का अवसर नही दिया गया, जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विपरित है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश को निरस्त कर, अपीलार्थी को शस्त्र अनुज्ञा पत्र जारी करने का आदेश फरमाने का आग्रह किया गया।

6. राजकीय अधिवक्ता ने प्रत्युत्तर में यह निवेदन किया कि श्रीमान जिला कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट सिरोही द्वारा जिला पुलिस अधीक्षक सिरोही की रिपोर्ट में अपीलान्ट–प्रार्थी को नवीन शस्त्र अनुज्ञा पत्र जारी नही करने की अनुशंषा के आधार पर उक्त आवेदन संचित किया गया है। जो विधि अनुकूल होने से प्रस्तुत अपील खारीज फरमाने का आग्रह किया गया।

डिविजनल कमिश्नर
जोधपुर

7. हमने दोनो पक्षों के योग्य अधिवक्ताओं द्वारा प्रस्तुत अभिकथनों पर मनन किया एवं अपील में वर्णित तथ्यों तथा जिला कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट सिरोही द्वारा प्रेषित विभागीय पत्रावली का अवलोकन किया। जिससे प्रकट है कि अपीलान्ट द्वारा स्वयं की सुरक्षा/खेती सुरक्षा को लेकर हैण्डगन रिवोल्वर–पिस्टल क्रय करने हेतु अनुज्ञा पत्र जारी करने के आवेदन पत्र पर जिला पुलिस अधीक्षक सिरोही से प्राप्त रिपोर्ट/टिप्पणी में मुख्यतः "प्रार्थी को शस्त्र अनुज्ञापत्र प्रदत्त करने के संबंध में पर्याप्त व समुचित कारण नही होने, आवेदक का पिता पूर्व से ही शस्त्र धारक होने तथा आवेदक द्वारा बताये गये कारण उचित प्रतीत नही होने से नवीन शस्त्र अनुज्ञापत्र जारी नही करने की अनुशंषा" की गई है। इसी प्रकार उप वन संरक्षक वन्यजीव, माउन्ट आबू, सिरोही की रिपोर्ट के बिन्दु संख्या 4 में मुख्यतः "आवेदक को हथियार का लायसेन्स अत्यन्त अपरिहार्य रूप से आवश्यक होने की हालत में ही दिया जाना चाहिए" उल्लेखित किया गया है। अतः उक्त स्थिति में जिला जिला मजिस्ट्रेट सिरोही द्वारा पुलिस अधीक्षक सिरोही की रिपोर्ट के आधार पर अपीलान्ट के उक्त आवेदन पत्र को संचित करने आदेश दिया गया है।

8. इसके अतिरिक्त अपीलान्ट द्वारा न्यायालय हाजा के समक्ष ऐसे कोई ठोस तथ्य/आधार उल्लेखित/प्रकट नही कर पाया जिससे कि उसे स्वयं की अथवा खेती की सुरक्षा को लेकर किसी प्रकार की जान–माल का खतरा पैदा हो रहा हो। अपीलान्ट के कथन मात्र से उसे आयुध रखने और क्रय करने हेतु अनुज्ञा पत्र जारी किया जाना औचित्यपूर्ण प्रतीत नही है। इसलिए वर्तमान मामले में विद्वान जिला कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट सिरोही के द्वारा अपीलान्ट को शस्त्र अनुज्ञा पत्र जारी नही करने हेतु लिया गया निर्णय उचित प्रतीत है, जिससे यह न्यायालय भी सहमत है। फलस्वरूप अपीलाधीन आदेश में किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता उचित प्रतीत नही होती है।

9. अतः उपर्युक्त विवेचन एवं विश्लेषण के परिणाम स्वरूप अपील अपीलान्ट सारहीन एवं आधारहीन होने से तदनुसार खारीज की जाती है तथा अपीलाधीन आदेश यथावत बहाल रखा जाता है।

निर्णय आज दिनांक 28 दिसम्बर, 2022 को खुले न्यायालय सुनाया गया।

28/12/22

(कैलाश चन्द मीना)
डिविजनल कमिश्नर
जोधपुर